राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक एफ.39–7(1)(सेअ)/आरए/2019/1646 दिनांक 07.06.2019

: आदेश :

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 39–7(1)(सेअ)/आरए/2014/1335 दिनांक 22.09.2015 से ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर, आ0न0 874 रकबा 45.77 हैक्टर, आ0न0 875 रकबा 5.59 हैक्टर, आ0न0 912 रकबा 15.85 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैक हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु वन भूमि आरक्षित की गई।

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा के पत्रांक 36 एवं 37 दिनांक 07.06.2018 के अनुसार बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ हेतु कुल रकबा 4.1 हैक्टर एवं एस. एच–29 से लोरदा हेतु कुल रकबा 2.76 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2018 के संदर्भ में अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. के पत्रांक 20.05.2019 एवं उप वन संरक्षक भीलवाडा के पत्रांक 3786 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार उक्त वन भूमि के बदले ग्राम राजपुरा में आरक्षित वन भूमि लैण्ड बैक में से भूमि दिये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अतः ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित वन भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 43.8376 हैक्टर में से 4.1 हैक्टर एवं 2.76 हैक्टर कुल रकबा 6.86 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटन की जाती है।

2/7/19

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
2–उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
3–तहसीलदार, आसीन्द
4–पटवारी हल्का तिलोली
5–रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner